न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/322

प्रार्थी:–

मूलाराम पुत्र नेमाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, जोजावर, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल अहमदाबाद गुजरात

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रामलाल पुत्र पुखाजी जाति मेघवाल निवासी भूरियासनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल निवासी मेघवालोंका बास जोजावर तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
2. ग्राम पंचायत जोजावर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जोजावर तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जोजावर तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/01/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत जोजावर द्वारा मिसल संख्या 81/2016–17, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2016 एवं उसकी पालना में रामलाल पुत्र पुखाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 14.02.2017 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम जोजावर में प्रार्थी का पुश्तैनी रहवासीय मकान आया हुआ है। अप्रार्थी जोजावर गावं का निवासी नहीं होते हुये भी ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। सम्पूर्ण आदेशिका साईक्लोस्टाईल तौर पर एक ही दिन में तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में कही पर भी यह अंकित नहीं है कि मौके पर कितने वर्षो से कब्जा है तथा पुश्तैनी मकान के सम्बन्ध में प्रार्थी की साक्ष्य नहीं ली गयी। गवाहों के बयान अनुसार भी मौके पर प्रार्थी का 20 वर्षो से कब्जा है। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन दिनांक 05.05.2016 को पेश किया परन्तु उसकी रसीद 31.07.2015 को

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

कैसे इन्द्राज हो सकती है। उक्त भूखण्ड का पूर्व में ठिकाणा श्री राठी जोजावर द्वारा दिनांक 02.12.1942 सवत् 1999 को पट्टा जारी हो चुका है तथा ग्राम पंचायत ने पूर्व से जारी पट्टे पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधिविरूद्ध है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में निहित प्रक्रिया की पालना नहीं की है इसलिये निगरानी याचिका को स्वीकार फरमाते हुये जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत जोजावर द्वारा मिसल संख्या 81/2016–17, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2016 एवं उसकी पालना में रामलाल पुत्र पुखाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 14.02.2017 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि उक्त भूखण्ड का पूर्व में राजदरबार ठिकाणा श्री राठी जोजावर द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध राजदरबार ठिकाणा श्री राठी जोजावर द्वारा दिनांक 02.12.1942 सम्वत् 1999 में ग्राम जोजावर द्वारा माना वल्द हिरा के पक्ष में जारी पट्टे की प्रतिलिपी के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उक्त पट्टे का नक्शा एवं जैर निगरानी पट्टे का नक्शे से मिलान करता है तथा जहां तक जैर आराजी के पट्टे के पड़ौस के मिलान का प्रश्न है तो वर्ष 1942 में जारी पट्टे के वर्तमान पड़ौस में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जिससे यह सुस्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में ठिकाने द्वारा जारी पट्टे की भूमि पर पट्टा जारी किया है, जब पूर्व में जारी पट्टा प्रभाव में है तो पश्चातवर्ती पट्टा Ab Initio Void होने से भी अपास्त योग्य है। जिसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अुनसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय विना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु दिनांक 05.05.2016 को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया तथा आवेदन प्रार्थना पत्र पर टिप्पणी अनुसार रसीद संख्या 67 दिनांक 31.07.2015 के द्वारा रूपये 120/– की रसीद काटी गयी, जब अप्रार्थी द्वारा आवेदन ही दिनांक 05.05.2016 को किया गया तो उसकी रसीद दिनांक 31.07.2015 को कैसे काटी जा सकती है ? सम्पूर्ण मिसल की आदेशिका पूर्व से हस्तलिखित आदेशिका की प्रतिलिपि है जिसमें अप्रार्थी का नाम व रसीद संख्या अलग से अंकित किये गये है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 05.05.2016, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वे समर्थन योग्य नहीं है।

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 20.05.2016 को जारी आपत्ति ईश्तहार सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में गवाह के केवल हस्ताक्षर है उसकी वल्दियती अंकित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में गवाहों के जो बयान लिये गये है वह पूर्व से हस्तलिखित बयान की प्रतिलिपि है, जिसमें बयानकर्ता की जानकारी अंकित की गयी है। साथ ही दोनों बयानात साईक्लोस्टाईल में दर्ज है। अप्रार्थी के अपने आवेदन पत्र, बयानकर्ता एवं आदेशिका दिनांक 20.09.2016 के अनुसार अप्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर 20 वर्षों से कब्जा है इसलिये नियम 157 के तहत 200/– रूपये राशि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया जबकि राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार – (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल – (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीखे से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रू. 100/– (ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रू. 200/– की राशि पर पट्टा जारी किये जाने के प्रावधान है परन्तु हस्तगत प्रकरण में केवल 20 वर्षो के कब्जे के आधार पर प्रश्नगत नियमों की पालना में पट्टा जारी किया गया, जो पंचायतीराज प्रावधानों की विपरीत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इसलिये हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जोजावर द्वारा मिसल संख्या 81/2016–17, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2016 एवं उसकी पालना में रामलाल पुत्र पुखाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 14.02.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत सोजत रोड को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)